प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.06.2024

स्वाट टीम ग्रामीण एवं थाना निवाडी पुलिस द्वारा 02 अपराधी पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार। मुठभेड के दौरान 01 अपराधी गोली लगने से घायल जिसके कब्जे से अवैध शस्त्र तथा लूट के नगद रुपए बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 03/06/2024 को नगला मूसा एवं दिनांक 10/06/2024 को शेरपुर थाना निवाड़ी क्षेत्र से घर में घुसकर महिलाओं से कुंडल एवं मंगलसूत्र तथा पांच मोबाइल लूटे गए थे जिस संबंध में आज दिनांक 14/06/2024 को थाना निवाडी पुलिस द्वारा नहर की पटरी से पतला जाने वाले रोड पर 02 अपराधी तथा थाना निवाडी पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान 01 शातिर अपराधी 1-वसीम पुत्र सल्लू निवासी फिरोजपुर नखासा जनपद संभल हाल पता झुग्गी झोपड़ी मुरादनगर पैर मे गोली लगने से घायल हुआ है गिरफ्तार अभियुक्त वसीम पर लूट/डकैती/चोरी/ एवं हत्या का प्रयास आदि के करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं तथा मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा मुठभेड़ में भागे हुऐ दूसरे अपराधी को भी कुछ दूरी पर गिरफ्तार कर लिया गया है।

बरामदगी का विवरण

1-लूट के नगद रुपये

2-01 तमंचा 315 बोर मय जिंदा ब खोखा कारतूस

अभियुक्त का नाम पता

1-वसीम पुत्र सल्लू निवासी फिरोजपुर नखासा जनपद संभल हाल पता झुग्गी झोपड़ी मुरादनगर (घायल)

2- सलमान पुत्र वकालत निवासी धौरा टांडा SBI बैंक के पास मौजीपुरा बरेली

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-स्वाट टीम ग्रामीण

2- थाना निवाडी पुलिस

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान, 11,000/- रूपये, आभूषण आदि बरामद।

दिनांक 14.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी नवनीत जैन पुत्र श्री श्रीचन्द जैन निवासी राजनगर लोनी बॉर्डर ने तहरीर दी कि मेरे नौकर लवकुश द्वारा मेरे घर से 24,000 रुपये व सोने-चाँदी के गहने चोरी कर लिए गए हैं। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई। तत्पश्चात आज दिनांक 15.06.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इन्पुट व

सर्विलांस के माध्यम से लोनी बस डिपो से अभियुक्त लवकुश उर्फ अंकुश पुत्र सतीश सिंह हाल निवासी नेहरू विहार, गली नं0 6, मावी हास्पिटल वाली गली, थाना दयालपुर, दिल्ली मूल निवासी- ग्राम उदीमोड, थाना बढपुरा जिला इटावा उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किया सामान, 11,000/- रूपये, एक जोडी पाजेब सफेद धातु, एक मंगल सूत्र पीली धातु, एक अंगूठी पीली धातु, एक चैन ओम सहित पीली धातु, एक नोज रिंग पीली धातु, 07 सिक्के सफेद धातु व 02 सिक्के पीली धातु बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं करीब 10 वर्ष से नवनीत जैन के घर पर नौकरी करता हूँ। जिससे मैंने उनका विश्वास हासिल कर लिया था। दिनाकं 10.06.2024 को मेरे मालिक नवनीत जैन अपने परिवार सहित बागपत में मन्दिर गये थे और अपने घर की सभी चाबियाँ मुझे दे गये थे। मैंने उनके घर से अलमारी में रखे सोने व चांदी के गहने व 24,000 रुपये चुरा लिये थे। जिसमें से बचे रुपये आपने मेरे से बरामद कर लिये हैं बाकी रुपये मैंने खर्च कर लिये थे। जब मेरे मालिक नवनीत जैन को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे खिलाफ थाना पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। इसलिये मैं अपने गांव भाग जाने के लिए बस पकड़ने वाला था कि आपने मुझे पकड़ लिया। यह चोरी मैंने लालच में आकर अपने शौक पूरे करने के लिये की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

लवकुश उर्फ अंकुश पुत्र सतीश सिंह हाल निवासी नेहरू विहार, गली नं0 6, मावी हास्पिटल वाली गली, थाना दयालपुर, दिल्ली मूल निवासी- ग्राम उदीमोड, थाना बढपुरा जिला इटावा उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त चोरी की घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की घटना से संबंधित 11,000/- रूपये, एक जोडी पाजेब सफेद धातु, एक मंगल सूत्र पीली धातु, एक अंगूठी पीली धातु, एक चेन ओम सहित पीली धातु, एक नोज रिंग पीली धातु, 07 सिक्के सफेद धातु व 02 सिक्के पीली धातु बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम --

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 15.06.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पप्पू कालोनी की तरफ से अवैध गांजा लेकर भगत सिंह चौक के पास सैन्ट्रल पार्क के पास वाली गली में पेड़ के पास अवैध गांजा बेच रहा है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला अभियुक्त सलमान पुत्र मो0 अतीक निवासी गली नं0- 1 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष को सैन्ट्रल पार्क के पास वाली गली में पेड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>: अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह गांजा चलते फिरते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देता हूं। जिससे मै अपने शौक मौज पूरे करता हूं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>:

सलमान पुत्र मो0 अतीक निवासी गली नं0- 1 पप्पू कालोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 500 ग्राम गांजा बरामद।

दिनांक 14.06.2024 थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा बेचने वाला 01 शातिर अभियुक्त अमन पुत्र राजपाल सिंह निवासी शिव पार्क खोड़ा कालोनी गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम नगला मोती थाना अवागढ जिला एटा उम्र-19 वर्ष को बिजेन्द्र के खेत के पास चौकी क्षेत्र नेहरु गार्डन खोड़ा कालोनी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अवैध 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>:

अमन पुत्र राजपाल सिंह निवासी शिव पार्क खोड़ा कालोनी गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम नगला मोती थाना अवागढ जिला एटा उम्र-19 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>:

- 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.05.2024 को थाना निवाड़ी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा मुझसे मोटरसाइकिल, मोबाइल व 520 रू0 लूट लिए है। जिसमें तत्काल थाना निवाड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया तथा अनावरण व गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.06.2024 को स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा उपरोक्त लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों मुकेश व रब्बल को गिरफ्तार किया गया तथा एक वांछित अभियुक्त मंजू उर्फ मनोज पुत्र धनपाल नि0 ग्राम किनौनी थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र 45 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 14.06.2024 को थाना खरखौदा मेरठ द्वारा एक अभियुक्त गुड्डू त्यागी उर्फ शिवा सूर्य प्रकाश पुत्र मगन स्वरुप नि0 कैथवाडी थाना रोहटा जनपद मेरठ हाल नि0 श्रीराम विहार दो पहिया रोड शोभापुर पुलिस चौकी के पीछे थाना कंकरखेडा मेरठ थाना खरखौदा उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तों ने घटना के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों द्वारा अपने अन्य दो साथी गुडडू त्यागी और मंजू उर्फ मनोज उपरोक्त के साथ मिलकर कुछ दिन पहले निवाड़ी पतला के बम्बे के किनारे से एक मोटर साइकिल पर जा रहे दो व्यक्तियों से एक मोटर साइकिल, मोबाइल व 520 रुपयें लूटे थे उनमें से एक मोबाइल फोन को गुडडू त्यागी ने राह चलते व्यक्ति को 1800 रुपये में बेच दिया था जिसमे से हमारे हिस्से मे 200-200 रूपये आये ते जो हमने खर्च कर दिये है अन्य दो मोबाइल, मोटरसाइकिल व बाकी रुपये गुडडू व मंजू उर्फ मनोज अपने साथ ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1. मुकेश कुमार पुत्र पुरण सिंह नि0 ग्राम लिसोडा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 45 वर्ष
2. रब्बल उर्फ बिजेन्द्र पुत्र खेमचन्द नि0 ग्राम बन्सीपुरा थाना दौराला मेरठ उम्र 46 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त लूट की घटना के संबंध में थाना निवाड़ी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन व थाना निवाड़ी पुलिस टीम

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

दिनांक 15.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त रामु यादव को 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ राका पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै यह शराब दूसरे राज्य से सस्ते दामों में खरीद कर लाया था और रात में किराना मण्डी में काम करने वाले मजदूरो को मनचाहे ऊचे दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाता हूं, जिससे मैं अपनी मौज मस्ती मे खर्च कर देता हूँ।

नाम पता अभियुक्त

रामु यादव पुत्र रामविलाश यादव मूल निवासी पोखरिया, दनौली फुलवरिया जिला बेगुसराय बिहार हाल पता गाँधी नगर गुरद्वारा के पास सरदार जी के मकान मे किराये पर गाँधी नगर थाना सिहानी गेट गा0बाद उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

कमिश्नरेट गाजियाबाद मे 02 अभियोग अवैध शराब के पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम